

राजभाषा प्रकोष्ठ
HINDI CELL

डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)
DOCTOR HARISINGH GOUR VISHWAVIDYALAYA, SAGAR (M.P.)
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय A CENTRAL UNIVERSITY)



हिन्दी अधिकारी
Hindi Officer

ई-मेल : hindicell2015@gmail.com
दूरभाष क्र. : (07582) 297118

क्रमांक: /रा.भा./2023/ति.रि./2033

26 जुलाई, 2023

प्रतिष्ठा में,

डॉ. अर्चना ठाकुर
संयुक्त सचिव
राजभाषा अनुभाग
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
शिक्षा मंत्रालय
भारत सरकार
बहादुर शाह जफ़र मार्ग, नई दिल्ली- 110002।

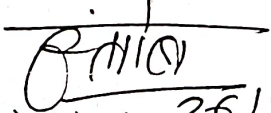
विषय - तिमाही प्रगति रिपोर्ट, अप्रैल से जून, 2023 ।

महोदया,

राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट (अप्रैल से जून, 2023) ऑन लाईन प्रेषित कर सूचनार्थ सादर प्रेषित है।

सादर,

भवदीय,


(संतोष सोहगौरा) 26/7/23
हिन्दी अधिकारी (प्र.)

संलग्न: -

- राजभाषा की तिमाही प्रगति रिपोर्ट ।

प्रतिलिपि: -

- संयुक्त सचिव, राजभाषा प्रभाग, उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
- संयुक्त निदेशक (राजभाषा), राजभाषा प्रभाग, उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
- श्री जग मोहन दुबे, वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा) एवं सदस्य सचिव, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, सागर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, सिटी सेण्टर, तुलसी विहार कॉलोनी, ग्वालियर - 474 011 (म.प्र.)

केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों/संबद्ध व अधीनस्थ कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों
आदि में राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट

जून माह को समाप्त तिमाही

भाग - I (प्रत्येक तिमाही में भरा जाए)

कार्यालय का नाम और पूरा पता : डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)

संबंधित राजभाषा अधिकारी का फोन नं.: एस.टी.डी. कोड 07582 फोन नं. 297118

ई-मेल : hindicell2015@gmail.com

1. राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी कागजात

(क) जारी कागजात की कुल संख्या	21
(ख) द्विभाषी रूप में जारी कागजात की संख्या	21
(ग) केवल अंग्रेजी में जारी किये गये कागजात	00

2. हिन्दी में प्राप्त पत्र (राजभाषा नियम - 5)

(क) हिन्दी में प्राप्त कुल पत्रों की संख्या	1026
(ख) इनमें से कितनों के उत्तर हिन्दी में दिए गए	748
(ग) इनमें से कितनों के उत्तर अंग्रेजी में दिए गए	39
(घ) इनमें से कितनों के उत्तर दिए जाने अपेक्षित नहीं थे	239

3. अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिए जाने की स्थिति (केवल 'क' एवं 'ख' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के लिए)

	अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों की संख्या	इनमें से कितनों के उत्तर हिन्दी में दिए गए	इनमें से कितनों के उत्तर अंग्रेजी में दिए गए	इनमें से कितनों के उत्तर अपेक्षित नहीं थे
	562	348	136	78
'क' क्षेत्र से	298	203	69	26
'ख' क्षेत्र से	264	145	67	52

4. भेजे गये मूल पत्रों का ब्यौरा

	हिन्दी में	अंग्रेजी में	भेजे गए पत्रों की कुल संख्या	हिन्दी/द्विभाषी में भेजे गए पत्रों का प्रतिशत
	1579	659	2238	70%
	1	2	3	4
'क' क्षेत्र को	927	352	1279	72%
'ख' क्षेत्र को	645	291	936	68%
'ग' क्षेत्र को	7	16	23	30%

5. (तिमाही के दौरान) फाइलों/दस्तावेजों पर लिखी गई टिप्पणियाँ

हिन्दी में लिखी गई टिप्पणियों के पृष्ठों की संख्या 1646

अंग्रेजी में लिखी गई टिप्पणियों के पृष्ठों की संख्या 694

कुल टिप्पणियों के पृष्ठों की संख्या 2340

*पृष्ठों की संख्या की गणना पूर्ण अंक एवं आधा अंक में ही की जाए।

(3)

संलग्नक

प्रमाण-पत्र

कार्यालय कोड : ..ofmp 1879.....

वित्तीय वर्ष : 2023-24.....

“मैं यह प्रमाणित करती हूँ कि संलग्न ...जून..... को समाप्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट(भाग-11) में दी गई सूचना उपबन्ध अभिलेखों के आधार पर बनाई गई है तथा मेरी जानकारी के अनुसार पूर्णतया सत्य है। मैं यह अच्छी तरह समझती हूँ कि राजभाषा अधिनियम, 1963 एवं राजभाषा नियम, 1976 के उपबंधों में दिए गए निदेशों के समुचित अनुपालन की जिम्मेदारी अधोहस्ताक्षरी की है। यदि किसी स्टेज पर रिपोर्ट में भरे गए आंकड़े असत्य अथवा बढ़ा-चढ़ा कर दिखाए गए पाए जाते हैं तो इस कार्यालय को अगले 03 वर्षों के लिए राजभाषा पुरस्कार से वंचित कर दिया जाएगा तथा गलत सूचना देने के लिए कार्रवाई हेतु मामला मेरे नियंत्रक कार्यालय/मंत्रालय के संज्ञान में भी लाया जाएगा।”

नीलिमा गुप्ता

कुलपति/Vice-Chancellor

(मोहर सहित हस्ताक्षर)
Doctor Harsingh Gour Vishwavidyalaya
Sagar (M.P.) 470033

मंत्रालय/विभाग/संगठन की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष का नाम प्रो. नीलिमा गुप्ता

पदनाम कुलपति

कार्यालय का नाम डॉ. हरीसिंह गौर वि.वि., सागर

दूरभाष/फैक्स 07582-264796

ई-मेल का पता vc@dhsgsu.edu.in

तिथि :-

स्थान :- सागर (म.प्र.)

स्ता/प्र

नोट - उक्त हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र की पी.डी.एफ. सॉफ्टकापी तिमाही प्रगति रिपोर्ट के साथ अनिवार्य रूप से लोड की जाए अन्यथा आपकी रिपोर्ट अधूरी समझी जाएगी।